2023/381

"प्रशासन गांवो के संग अभियानः- 2023"

प्रतिवेदन पटवारी हल्का:- हथौरा

महोदय निवेदन है कि राजस्व ग्राम मोदपाड़ी के वर्तमान खाता सं. 96 के अभि. कि. 828 828 किता 2 कुल रकबा 0.08 है. खातेदार शम्भू पुत्र श्योसहाय हि. दे. जाति-अहीर दर्ज रिकार्ड है। जबकि जमाबंदी संवत् 2021-25 के अभि. कि. 503, 504 किता 2 रकबा 1.12 की खातेदारी शंभू व शालम पि. श्योजी कौम अहीर साकिन हि. बराबर दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक संलग्न निगरानी सर्वेक्षण के मुताबिक खा. 504, 507 का वर्तमान खा. 828 828 18 पर खातेदार शंभू व शालम के फौत होने पर वारिसान कमशः शिवसहाय पुत्र महादेव व शम्भू पुत्र जगन्नाथ के विरासत दर्ज हुई। जिनका हिस्सा हि. 1/2 व हि. 1/2 दर्ज रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2021-25 हि. 1/6 व हि. 1/6 दर्ज होना था। अतः वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी खाता सं. 96 के खातेदार रामनिवास पुत्र जगन्नाथ हि. 1/6 रामस्वरूप पुत्र जगन्नाथ हि. 1/6 शम्भू पुत्र श्योसहाय हि. 1/2 जाति अहीर दर्ज है। जांच प्रतिवेदन भू- अभिलेख निरिक्षक वृत्तः- हस्ताक्षर पटवारी हि. दे. जाति अहीर के स्थान पर रामनिवास पुत्र जगन्नाथ हि. 1/6 रामस्वरूप पुत्र जगन्नाथ हि. 1/6 शम्भू पुत्र श्योसहाय हि. 1/2 जाति अहीर के शुद्धि किया जाना प्रस्तावित है।

15/05/23

15/05/23
प. हथौरा

CL-24
15/5/23

जांच प्रतिवेदन तहसीलदार (भू- अभिलेख), श्रीमाधोपुर — हस्ताक्षर भू-अभिलेख निरिक्षक

[illegible] प्रतिवेदन पटवारी [illegible] के अनुसार [illegible] जमाबंदी [illegible] 2024-2029 [illegible] 2029-2032 [illegible] ग्राम मोदपाड़ी की खाता सं. 96 में रामनिवास पुत्र जगन्नाथ हि. 1/4 रामस्वरूप पुत्र जगन्नाथ हि. 1/4 शम्भू पुत्र श्योसहाय हि. 1/2 के स्थान पर रामनिवास पुत्र जगन्नाथ हि. 1/6 रामस्वरूप पुत्र जगन्नाथ हि. 1/6 शम्भू पुत्र श्योसहाय हि. 1/2 जाति अहीर [illegible] ग्राम की अभिशंसा की जाती है।

16/5/23
तहसीलदार (भू.अ.)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
हस्ताक्षर तहसीलदार
श्रीमाधोपुर

आदेश (शिविर स्थानः- हथौरा, दिनांकः- 16.5.2023)

मुताबिक पटवारी भू.अ. नि. रिपोर्ट [illegible] एवं तहसीलदार की अभिशंसा के अनुसार मोदपाड़ी के वर्तमान खा. सं. 96 [illegible] किता 2 रकबा 0.08 है. शम्भू पुत्र श्योसहाय हि. 1/4 दर्ज है, [illegible] किता 2 [illegible] की खातेदारी शंभू व शालम पि. श्योजी कौम [illegible] शालम के फौत होने पर वारिसान के नाम [illegible] दर्ज हुए हैं। वर्तमान जमाबंदी में हि. 1/4-1/4 [illegible] दर्ज है। सजरा खसरा संलग्न है। अतः खा. सं. 96 मोदपाड़ी में रामनिवास रामस्वरूप पि. जगन्नाथ हि. 1/4 शम्भू पुत्र श्योसहाय हि. 1/2 महादेव पि. मालिया हि. 1/4 जाति अहीर दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है।

उप-खण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर
16/05/23

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.02 10:19:46 IST
Reason: SelfAttested